पुस्तकालय

2112
18/7/03

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 JUL 2003

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

वि० स० मु० (एस० ए०) 173—मोनो—500—16-12-2002—

टर्न-19/ज्योति:कमलू
17-7-2003

तारांकित प्रश्न संख्या - 1404

श्री रमई राम, मंत्री: (1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रारम्भ से अप्रील 2003 तक अविभाजित बिहार राज्य में 4 लाख 81 हजार 955.40 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि भूदान से प्राप्त कुल भूमि में से अप्रील 2003 तक 2 लाख 69 हजार 152.96 एकड़ भूमि 3 लाख 41 हजार 987 सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों के बीच वितरित की गयी है।

(3) शेष अवितरित भूमि 2 लाख 2 हजार 802.44 एकड़ भूमि भूमिहीनों के बीच शीघ्र वितरित करने हेतु बिहार भूदान कमिटी को निर्देश दिया गया है।

(32)

तारांकित प्रश्न संख्या-1404 पर पूरक

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भूदान कमिटी ने कितनी जमीन बिहार सरकार को दान में प्राप्त कर उपलब्ध कराया था ?

श्री रमई राम(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में भी कितनी जमीन उपलब्ध हुई है भूदान से जमीन स्पष्ट लिखित सूचना निर्गत कर दिया है । आज बताना चाहता हूँ कि 4 लाख 81 हजार 955.40 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम साफ साफ जानना चाहते हैं कि भूदान कमिटी से बिहार सरकार दान के रूप में कितनी जमीन प्राप्त किया ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: मंत्री ने कहा 4 लाख समर्पित ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह: 21 लाख . महोदय मिला ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: भूदान को 21 लाख एकड़ मिला होगा, लेकिन भूदान ने सरकार को 4 लाख समर्पित किया । भूदान को बहुत जमीन ·· है जो विवादित है नहीं बाँटा जा सका ।

(व्यवधान)

श्री रमई राम(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अविभाजित बिहार की ये चर्चा कर रहे हैं । विभाजित बिहार में जो आँकड़ा आया है मैं उसी को बतला रहा हूँ । महोदय, बहुत पहाड़, जंगल और खेत था देने वाले बहुत होशियार थे वे दिया था दूसरे के जमीन को तीसरे के जमीन को । जमीन था नहीं । खोदा पहाड़ निकली चुहिया ।

(व्यवधान)

श्री नवीन किशोर प्र० सिंहा: अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था है।

अध्यक्ष: कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय, गरीब, दलित आदि का नारा देकर सरकार में आने वाले लोग सामने बैठे हुए हैं। 47 वर्ष से जो जमीन प्राप्त है अविभाजित बिहार में तो उसको बांटा कहां? आधी से अधिक जमीन अभी भी नहीं बांट सके हैं। इसके लिए कौन दोषी है?

श्री रमई राम (मंत्री): महोदय, हम भी तैयार हैं वह सरकार में सन्निहित हो जाय। भूदान खत्म हो जाय हम तुरत बांट देंगे। भूदान कमिटी अलग है उसको छूने का अधिकार हमें नहीं है केवल प्रतिवेदन का अधिकार है। हम अपनी मर्जी से एक इंच जमीन नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि इसको अतिक्रमित कर दिया जाय।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह: महोदय, जितनी भूमि प्राप्त है उसका आधे से अधिक भी नहीं बंट सका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: मंत्री ने बताया कि जितनी जमीन मिली उतनी बांट दी गयी। आप चैलेंज कीजिये कि इतनी एकड़ जमीन मिली।

श्री रमई राम (मंत्री): महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सही माने में जमीन बंट जाय जो बचा है। महोदय, आप स्वयं भूदान यज्ञ कमिटी को बुला लें, विरोधी दल के नेता हैं, बात हो जाय, जमीन कहां है, जमीन भूदान यज्ञ कमिटी के पास है, कोई राजस्व के पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता, विरोधी दल): महोदय, जो प्रतिवेदन बिहार सरकार ने

विजय।

वितरित किया है।

(व्यवधान)

श्री रमाई राम (मंत्री): क्या जमीन देंगे, जो दे रहे हैं वही बरबाद कर रहे हैं। कहां भूदान में जमीन रखी हुई है, बेच रहे हैं और लड़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

टर्न-12/17.7.03/
श्रीरमण/

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल): महोदय, जो प्रतिवेदन बिहार सरकार का वितरित किया गया है, उसके अनुसार पिछले चार साल में केवल 1750 एकड़ जमीन का वितरण किया गया है । यह इनके रिपोर्ट के आधार पर है, 1999-2000 में 27 एकड़, 2000-01 में 271 एकड़, 2001-02 में 121 एकड़ और पिछले साल 113 एकड़ वितरित किया गया है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, आपने स्वीकार किया कि 2.65 लाख एकड़ जमीन अभी बची हुई है, भू-दान को बची हुई है और आपने आरोप लगाया भू-दान कमिटी के बारे में, प्रतिवेदन में कहा है आपने कि भू-दान अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें भूदान से प्राप्त जमीन के वितरण का अधिकार समाहर्त्ता को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । डी०एम० को यह अधिकार दे दिया जाय भूदान समिति के बदले, यह प्रस्ताव है, दो साल से बिहार सरकार यह कह रही है कि डी०एम० को अधिकार देने के लिये आवश्यक संशोधन सरकार करने जा रही है । माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आवश्यक संशोधन कब करेंगे, दो साल से कह रहे हैं कि भूदान नहीं हम बाँटेंगे, क्यों नहीं बाँट रहे हैं ?

श्री रमई राम (मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम अनुरोध करना चाहते हैं विरोधी दल के नेता से, हमारा प्रयास है, सब आदेश दे चुके हैं और इसमें तत्परता से हम काम करना चाहते हैं । कहीं कुछ दिक्कत, परेशानी है भी तो हम समाप्त करके इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल): भूदान कमिटी अब नहीं बाँटेगी ?

श्री रमई राम (मंत्री): सरकार में अपनी अनुशंसा भेज चुके हैं । वहाँ से हो जायेगा तो हम करेंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल): महोदय, अधिनियम में संशोधन नहीं कर रही है सरकार, अपने हाथ में नहीं ले रही है और कहते हैं कि कमिटी अपने स्तर से बाँट नहीं रही है ।

अध्यक्ष : जो आपने चाहा है, वही सरकार कह रही है । इन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया कि आप भूदान वालों को भी बुला लीजिये, हमको बुला लीजिये, प्रतिपक्ष के नेता को बुला लीजिये और देख लीजिये । यह सुझाव दिया है इन्होंने ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल): महोदय, अधिनियम में संशोधन करके अधिकार बिहार सरकार ले ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उस दिशा में एक पहल कीजिये एक समय-सीमा के अन्दर ।

टर्न-12/17.7.03/
श्रीरमण/

श्री रमई राम (मंत्री): महोदय, कई बार आदेश हो चुका है । आपको भी अनुरोध करते हैं, विरोधी दल के नेता // को भी अनुरोध करते हैं , आपकी भी सहभागिता / होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0- [illegible] 1405 (श्री नंद किशोर यादव) टुट हुआ । प्रश्नोत्तर काल समाप्त । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सभा पटल पर रख दिये जांय ।